

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोखलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 95 वाहनों से 1,00,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 95 वाहनों से 1,00,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती से साथ दुष्कर्म करने के मामले में
वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 495/2024 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र पुत्र पन्नेलाल निवासी बेलमा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 25.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 14.08.2024 को वादिनी के साथ दुष्कर्म कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* व0उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ।**

आज दिनांक 25.12.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के पर्यवेक्षण व प्रभारी यातायात *श्री परमहंस* के नेतृत्व में यातायात पुलिस को मेंहदावल बाइपास पर एक गुमशुदा बालक मिला जिसे यातायात पुलिस द्वारा बरामद करते हुए उसके वास्तविक परिजन श्रीमती रंजना पत्नी जर्नादन निवासी मछली बाजार मनिकापुर थाना मेंहदावल तथा उसके मामा पवन कुमार ग्राम हरदी हट्टा चौक बाजार मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को सुपुर्द किया गया। गुमशुदा बालक के परिजन द्वारा बताया गया कि उसका बेटा खलीलाबाद शहर के एक निजी अस्पताल में अपनी नानी के साथ आया हुआ था। यहां से भटकते हुए कहीं चला गया था जिसकी खोजबीन की जा रही थी, प्रभारी यातायात व उनकी टीम तथा स्थानीय राष्ट्रीय सहारा ब्यूरो कार्यालय खलीलाबाद के पत्रकार राजेश कुमार के सहयोग से गुमशुदा बालक को उसके वास्तविक परिजन को

सुपुर्द किया गया, जिनके द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संतकबीरनगर पुलिस व पत्रकार को सधन्यवाद प्रेषित किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम का नाम

01- हे0का0 रामकरन गुप्ता।

02- का0 मनोज पटेल।

03- का0 प्रदीप जायसवाल।

04- राष्ट्रीय सहारा ब्यूरो कार्यालय खलीलाबाद के पत्रकार राजेश कुमार।

***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या का प्रयास के मामले में वांछित 03**

अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 386/2024 धारा 352/351(3)/109 बी0एन0एस0 के मामले में वांछित 03 अभियुक्तगण 01. आनन्द पाण्डेय पुत्र श्रीकान्त पाण्डेय 02. मूलचन्द्र उर्फ गुज्जू शर्मा पुत्र उदयरज शर्मा 03. रवि यादव पुत्र राजाराम यादव निवासीगण भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को मेंहदावल ब्लाक के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 24.12.2024 को थाना मेंहदावल पर वादी के साथ उक्त अभियुक्तगण द्वारा लाठी डण्डे से मारपीट व जान से मारने का प्रयास करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 25.12.2024 को उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण –

01 अदद बाँस का टुकड़ा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, उ0नि0 श्री लालमणी यादव, हे0का0 मुरलीमनोहर, हे0का0 अजय सिंह, हे0का0 मोती लाल यादव, हे0का0 अरुण प्रजापति, का0 वीरेन्द्र कुमार।